

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ खंडपीठ

रिट - ए संख्या - 10457 वर्ष 2019

राजेंद्र प्रसाद तिवारी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव (राजस्व), लखनऊ, एवं अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : रमा कांत दीक्षित

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 18

माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।

इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना की है:-

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

(i) विरोधी पक्षकार के नाम परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, ताकि वे माननीय न्यायालय के दिनांक 03.08.2017 के आदेश के अनुपालन में याची को 05/06/1986 से नियमित सेवा में मानते हुए, उसकी वरिष्ठता के अनुसार वेतन का सही निर्धारण सुनिश्चित करें। यह निर्धारण 18.05.2012 से प्रभावी होना चाहिए अर्थात् रिट याचिका संख्या 2354(एस/एस)/2002 में पारित आदेश की तिथि से, साथ ही याची की पेंशन का पुनः निर्धारण 14% ब्याज के साथ सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि याची को एक नए नियुक्त कर्मचारी की तरह वेतन दिया गया है और उसका अंतिम आहरित वेतन रु. 37,200/- प्रति माह था, जिसके आधार पर उसकी पेंशन निर्धारित की गई है; जबकि याची से कनिष्ठ व्यक्ति जैसे श्री नेपाल और खिलाड़ीराम जिनकी नियुक्ति 11/01/1990 को हुई थी, उन्हें रु. 61,300/- प्रति माह का भुगतान किया जा रहा था, जैसा कि इस रिट याचिका के संलग्नक संख्या 1 और 2 में निहित है।

(ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा विरोधी पक्षकार संख्या-4 को यह सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाए कि याची को 14 वर्ष, 19 वर्ष और 26 वर्ष की सेवा पूरी करने पर देय प्रोन्नति वेतनमान / वित्तीय उन्नयन / चयन श्रेणी / सुपर चयन श्रेणी प्रदान की जाए, जो विधि के अंतर्गत स्वीकार्य है, क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 4963 (एस/एस)/2015 में पारित दिनांक 03/08/2017 के आदेश के अनुपालन में याची को 05/06/1986 से नियमित सेवा में माना गया है और वह 31/01/2017 को अपनी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है। उक्त आदेश के माध्यम से याची को रिट याचिका संख्या 4031 (एस/एस)/2001, प्रताप नारायण पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 19/08/2006 का लाभ प्रदान किया गया है।

(III) कोई भी ऐसा अन्य आदेश या निर्देश, जिसे यह माननीय न्यायालय प्रकरण की परिस्थितियों में उचित और सही समझे, याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जा सकता है।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता ने पूर्व में रिट याचिका संख्या 4963 वर्ष 2015 दाखिल की थी, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08.2017 के निर्णय एवं आदेश के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया था। उक्त निर्णय का मुख्य भाग नीचे उद्धृत किया गया है:—

अभिलेख पर सामने आए तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने भी संग्रह अमीन के पद पर भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, और उसका चयन उत्तर प्रदेश संग्रह अमीन सेवा नियमावली, 1974 के नियम 5 के अंतर्गत किया गया था। चयन सूची में याचिकाकर्ता का नाम क्रमांक 179 पर दर्ज है, जिसमें प्रताप नारायण पांडे का चयन भी हुआ था। इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता की पिछली रिट याचिका (एस/एस) संख्या 6646 वर्ष 2012 में दिनांक 19.08.2014 को पारित आदेश के माध्यम से तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता के प्रकरण को पहले ही समान पाया है। प्रत्यर्थीगण द्वारा याचिकाकर्ता को उसके चयन का लाभ देने से इस आधार पर मना करना कि वह एक सामयिक संग्रह अमीन के रूप में कार्यरत था, उचित नहीं ठहराया जा सकता, इसका कारण यह है कि याचिकाकर्ता का चयन उत्तर प्रदेश संग्रह अमीन सेवा नियमावली, 1974 के नियम 5 के अधीन संचालित चयन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप एक नियमित संग्रह अमीन के रूप में हुआ था।

प्रत्यर्थीगण का याचिकाकर्ता को सामयिक संग्रह अमीन मानना उचित नहीं था। याचिकाकर्ता को इस आधार पर भी अनुतोष देने से मना नहीं किया जा सकता कि उसने पिछले 14 वर्षों से कार्य नहीं किया है, क्योंकि यह प्रत्यर्थी ही थे जिन्होंने याचिकाकर्ता को कार्य करने की अनुमति नहीं दी थी ऐसा तब हुआ जब याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से संग्रह अमीन के पद पर नियुक्ति हेतु अपना दावा प्रबल ढंग से प्रस्तुत किया। प्रताप नारायण पांडे प्रकरण में इस न्यायालय ने तथ्यों का स्पष्ट रूप से संज्ञान में लिया था और यह निर्देश जारी किया था कि याचिकाकर्ता को संग्रह अमीन के पद पर बने रहने की अनुमति दी जाए, क्योंकि 1974 की नियमावली के नियम 5 के तहत उसका विधिवत चयन किया गया था।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

याचिकाकर्ता भी इसी प्रकार के लाभों का अधिकारी है, विशेष रूप से 19.08.2014 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के दृष्टिगत, इसलिए ज़िला मजिस्ट्रेट का आदेश इस न्यायालय द्वारा पहले पारित आदेशों के विपरीत पाया गया है, और तदनुसार इसे रद्द किया जाता है। प्रत्यर्थी को एक परमादेश जारी किया जाता है कि वह एक नया आदेश पारित करे, जिसमें याचिकाकर्ता को वही लाभ दिया जाए जो इस न्यायालय द्वारा प्रताप नारायण पांडे को दिया गया था, और उन्हीं शर्तों पर।

यद्यपि यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रताप नारायण पांडे प्रकरण में की गई टिप्पणियों को देखते हुए, याचिकाकर्ता पिछले समय के लिए किसी भी वेतन का अधिकारी नहीं होगा, परन्तु प्रताप नारायण पांडे प्रकरण में पारित आदेश के अनुसार सेवा की निरंतरता का अधिकारी होगा। यह भी बताया जाता है कि प्रताप नारायण पांडे प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर, 2010 को विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) 18561 वर्ष 2010 को खारिज करके अन्यथा भी पुष्ट कर दिया है। याचिकाकर्ता तब तक कार्य करने का अधिकारी होगा जब तक वह अधिवर्षता की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, और उसके पश्चात वह सेवानिवृत्ति लाभों का अधिकारी होगा, जिसके लिए उसे 5 जून, 1986 से लेकर अधिवर्षता की आयु तक की सेवा का लाभ दिया जाएगा, यद्यपि इस अवधि हेतु उसे कोई वेतन नहीं मिलेगा।

आगे यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 03.08.2017 के उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में याचिकाकर्ता के प्रकरण पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत विचार किया गया, और सुल्तानपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 25.06.2018 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को दिनांक 19.08.2014 से नियमित संग्रह अमीन के पद पर नियुक्त किया, साथ ही उन्हें दिनांक 05.06.1986 से ही नियमित रूप से संग्रह अमीन नियुक्त माना गया। इसके परिणामस्वरूप मिलने वाले लाभ जिनमें वरिष्ठता और सेवानिवृत्ति के देय लाभ शामिल हैं, भी याचिकाकर्ता को प्रदान किए गए।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह प्रस्तुत किया है कि यह रिट याचिका मात्र सुनिश्चित कैरियर उन्नयन/एसीपी प्रदान करने के मुद्दे तक ही सीमित है, क्योंकि सातवें वेतन आयोग की

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

सिफारिशों के अनुसार याचिकाकर्ता का वेतन निर्धारित करते समय उसे ऐसा कोई लाभ नहीं दिया गया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि समान परिस्थितियों में दीपेंद्र प्रकाश तिवारी नामक एक व्यक्ति जिसकी स्थिति भी वैसी ही थी, को भी सुनिश्चित कैरियर उन्नयन/एसीपी का लाभ देने से मना कर दिया गया था, जिसके पश्चात उसने रिट-ए संख्या 1367 वर्ष 2022 (दीपेंद्र प्रकाश तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और तीन अन्य) दाखिल करके इस न्यायालय का रुख किया। उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया और यह निर्देश दिया गया कि उसमें याचिकाकर्ता 05.06.1986 से अपनी सेवा अवधि की गणना के आधार पर सुनिश्चित कैरियर उन्नयन/एसीपी का लाभ पाने का अधिकारी है, और उसे इसके साथ-साथ सभी परिणामी लाभ भी दिए जाएं। उक्त आदेश का मुख्य भाग नीचे उद्धृत किया गया है:-

"1. उपरोक्त आदेश के अवलोकन से यह संकेत मिलता है कि प्रत्यर्थीगण ने उक्त आदेश पारित करने में स्पष्ट रूप से त्रुटि की है, क्योंकि वे इस बात पर विचार करने में विफल रहे हैं कि याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 19.05.2012 के आदेश के माध्यम से दिनांक 05.06.1986 से वरिष्ठता के लाभ के साथ पहले ही नियमित किया जा चुका है। इस प्रकार याचिकाकर्ता द्वारा की गई सम्पूर्ण सेवा या यदि सेवा प्रदान नहीं भी की गई हो, फिर भी रिट न्यायालय के दिनांक 21.11.2011 के निर्णय पर विचार करते हुए, जब एक बार सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 19.05.2012 के आदेश के माध्यम से उक्त लाभ प्रदान कर दिया गया है, और यह स्वीकार्य है कि उक्त आदेश अंतिम रूप ले चुका है, और यद्यपि याचिकाकर्ता को दिनांक 31.05.2012 के एक औपचारिक आदेश के माध्यम से नियमित किया गया था, फिर भी दिनांक 19.05.2012 के उस आदेश को ध्यान में रखते हुए जो याचिकाकर्ता को दिनांक 05.06.1986 से एक नियमित कर्मचारी के रूप में सभी लाभ प्रदान करता है परिणामस्वरूप, इसका अर्थ यह है कि याचिकाकर्ता की पूरी सेवा की गणना दिनांक 05.06.1986 से की जाएगी। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता की सेवा केवल 8 वर्ष और कुछ महीने की थी, जबकि याचिकाकर्ता की दिनांक 05.06.1986 से लेकर दिनांक 30.09.2020 को उसकी सेवानिवृत्ति तक की पूरी सेवा को सभी व्यावहारिक उद्देश्यों हेतु गिना जाना है विशेष रूप से तब जब प्रत्यर्थीगण ने स्वयं याचिकाकर्ता को दिनांक 05.06.1986 से वरिष्ठता का लाभ प्रदान किया है।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

12. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

13. दिनांक 30.11.2021 का आक्षेपित आदेश जिसकी एक प्रति रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न है, रद्द किया जाता है। प्रत्यर्थागण को निर्देश दिया जाता है कि वे रिट न्यायालय के दिनांक 21.11.2011 के निर्णय और सक्षम प्राधिकारी के दिनांक 19.05.2012 के आदेश के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता की संपूर्ण सेवा अवधि की गणना दिनांक 05.06.1986 से करें। सेवा की उक्त अवधि की गणना सभी प्रयोजनों हेतु की जाएगी, जिसमें याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति संबंधी देय राशियों का भुगतान भी शामिल है, और इसमें पेंशन भी शामिल होगी। याचिकाकर्ता दिनांक 05.06.1986 से अपनी सेवाओं की गणना के परिणामस्वरूप मिलने वाले सुनिश्चित कैरियर उन्नयन/एसीपी के लाभ का भी अधिकारी होगा, जिसके साथ सभी आनुषंगिक लाभ भी प्राप्त होंगे।

14. इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर इस आदेश का अनुपालन किया जाए।

आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि रिट ए संख्या 1367 वर्ष 2022 में पारित उपर्युक्त आदेश को राज्य द्वारा विशेष अपील त्रुटिपूर्ण संख्या 121 वर्ष 2025 दाखिल करके चुनौती दी गई थी, जिसे दिनांक 20.03.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके पश्चात एक सिविल विविध पुनर्विलोकन आवेदन त्रुटिपूर्ण क्रमांक 26 वर्ष 2026 भी प्रस्तुत किया गया, जिसे भी दिनांक 18.02.2026 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। परिणामस्वरूप दीपेन्द्र प्रकाश तिवारी (उपरोक्त) के प्रकरण में दिया गया निर्णय अब अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है। यह भी अभिलेख पर लाया गया है कि इसके अनुपालन में विरोधी पक्षकारगण ने दिनांक 03.03.2025 के आदेश द्वारा उक्त दीपेन्द्र प्रकाश तिवारी को सुनिश्चित कैरियर उन्नयन/एसीपी का लाभ प्रदान कर दिया है।

यद्यपि विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्कों का विरोध किया गया है, तथापि वे इस तथ्य से विवाद नहीं करते कि वर्तमान याचिकाकर्ता का प्रकरण दीपेन्द्र प्रकाश तिवारी के प्रकरण के बिल्कुल समान आधार पर स्थित है।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

दीपेन्द्र प्रकाश तिवारी के प्रकरण में दिनांक 22.04.2024 को पारित आदेश, विशेष अपील (त्रुटिपूर्ण) संख्या 121 वर्ष 2025 में पारित आदेश, सिविल विविध पुनरीक्षण आवेदन (त्रुटिपूर्ण) संख्या 26 वर्ष 2026 में पारित आदेश तथा दिनांक 03.03.2025 का वह आदेश जिसके द्वारा दीपेन्द्र प्रकाश तिवारी को सुनिश्चित कैरियर उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया था जो याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें अभिलेख पर ले लिया गया है।

दीपेन्द्र प्रकाश तिवारी के प्रकरण में दिनांक 22.04.2024 को पारित आदेश विशेष अपील त्रुटिपूर्ण संख्या 121 वर्ष 2025 में पारित आदेश, सिविल विविध पुनर्विलोकन आवेदन त्रुटिपूर्ण संख्या 26 वर्ष 2026 में पारित आदेश तथा दिनांक 03.03.2025 का वह आदेश जिसके द्वारा दीपेन्द्र प्रकाश तिवारी को सुनिश्चित कैरियर उन्नयन/एसीपी का लाभ प्रदान किया गया था जो याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें अभिलेख पर ले लिया गया है। तिवारी (उपर्युक्त) के प्रकरण के दृष्टिगत, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दिनांक 03.03.2025 के आदेश के माध्यम से उक्त दीपेन्द्र प्रकाश तिवारी को सुनिश्चित कैरियर उन्नयन/एसीपी का लाभ पहले ही प्रदान किया जा चुका है, यह न्यायालय ऐसा कोई भी उचित कारण नहीं पाता है कि वर्तमान याचिकाकर्ता को भी सुनिश्चित कैरियर उन्नयन/एसीपी का वही लाभ क्यों न प्रदान किया जाए।

तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। विरोधी पक्षकार को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता की सेवा की पूरी अवधि की गणना 05.06.1986 से करें और उसे सुनिश्चित कैरियर उन्नयन/एसीपी का लाभ उसी प्रकार प्रदान करें, जैसा कि दीपेन्द्र प्रकाश तिवारी के प्रकरण में दिया गया है, साथ ही सभी परिणामी लाभ भी प्रदान करें।

30 मार्च 2026

आर.सी.

(न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार)

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”